भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

TREASURY-3
73
14 FEB 2012
KUSHINAGAR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 136771

न्यास विलेख

न्यास विलेख की सह उद्घोषणा मेरे द्वारा ई0 सन् 2012 के माह फरवरी 23वीं तिथि को स्थान गुरवलिया में की जाती है।

डॉ0 शक्तिप्रकाश पाठक स्व0 वागीश्वरी पाठक स्थायी पता- ग्राम+पोस्ट- गुरवलिया, तहसील- तमकुहीराज, जनपद- कुशीनगर उ0प्र0 जिसे एतद् पश्चात् "न्यास प्रवर्तक" कहा जाता है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 165943

73

27 DEC 2011

यतः न्यास प्रवर्तक अपनी समाज [illegible] के अधीन समाज के पीड़ित अशिक्षित/गरीब व अनाथ मानव को दुखो से छुटकारा [illegible] साथ गरीबी उन्मूलन तथा स्वच्छ वातावरण में सर्व शिक्षा के साथ-साथ अनुसंधान कार्य को मूर्त रूप देने हेतु सार्वजनिक धमार्थ न्यास की स्थापना करता है तथा न्यास प्रवर्तक की हार्दिक अभिलाषा है कि सामाजिक उत्थान हेतु सर्व शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज में सुख शान्ति, समृद्धि भाई-चारा, आपसी सद्भाव एवं विशेषकर बालक, बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक विकास के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, हास्टल तथा साधनविहीन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की जैसे भोजन, शिक्षा एवम् आवास, इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बेरोजगार को उनके योग्यतानुसार व्यवहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदत्त करके उनको रोजगारर का अवसर उपलब्ध कराया जाये। जनहित के उक्त कार्यो को संचित करने एवं उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदत्त करने के लिए समाज के विभिन्न स्तर के लोगों से सहयोग प्राप्त करने एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों समितियों से सहायता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थाओं एवं समितियो के निर्माण के लिए व जन कल्याण के समस्त कार्यो हेतु एक न्यास की स्थापना की जाये तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाये। अतः न्यास प्रवर्तक अपने उपरोक्त इच्छा की पूर्ति हेतु इस न्यास की स्थापना में मु0 10000/- (दस हजार रुपया) मूल न्यास कोष की स्थापना करता है तथा अन्य न्यासी को 5000/- रुपये या अचल सम्पत्ति न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास को अन्तरित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 165942

यतः विलेख द्वारा न्यास के स्थापना की घोषणा निम्न प्रकार की जाती है-

अनुच्छेद- 1000

परिभाषा

1.100 इस न्यास विलेख में जब तक कि सन्दर्भ या भाव के प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो उसका अर्थ उसी प्रकार ग्राह्य है जिस सम्बन्ध में उसे प्रदर्शित किया गया है।

1.200 "पुलिंग" वाचक द्योतक शब्दों के अन्तर्गत स्त्रीलिंग वाचक द्योतक शब्द व "स्त्रीलिंग" वाचक द्योतक शब्दों के अन्तर्गत पुलिंग वाचक द्योतक शब्द सम्मिलित माने जायेंगे।

1.300 "एकवचन" वाचक द्योतक शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन वाचक द्योतक शब्द व 'बहुवचन' व वाचक द्योतक शब्दों के अन्तर्गत एक एक वचन वाचक द्योतक शब्द सम्मिलित माने जायेंगे।

1.400 "न्यास" द्योतक शब्द का तात्पर्य
वागीश्वरी शैक्षिक, सामाजिक चैरिटेबुल ट्रस्ट से है।

1.500 "अधिनियम" द्योतक शब्द का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1995)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 360523

1.600 "न्यास प्रवर्तक" द्योतक शब्द का तात्पर्य इस न्यास के संस्थापक जिसका विवरण इस विलेख के शीर्षक में न्यास प्रवर्तक के रूप में उल्लिखित है।

1.700 "न्यास" द्योतक शब्द का तात्पर्य न्यासी जिसका विवरण इस विलेख में न्यासी के रूप में उल्लिखित है जिसके साथ-साथ न्यास प्रवर्तक संस्थापक न्यासी व इस विलेख के अनुच्छेद 5.130 से 5.190 न्यास परिषद के गठन में न्यास प्रवर्तक द्वारा चुने गये व्यक्ति तथा भविष्य में न्यास परिषद द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति संयुक्त व एकलरूपी में न्यासी कहे जायेंगे।

1.800 "न्यास-सम्पत्ति" द्योतक शब्द का तात्पर्य अनुच्छेद 4.000 में उल्लिखित न्यास सम्पत्ति से है तथा वह सभी सम्पत्तियाँ न्यास सम्पत्ति मानी जायेगी जो न्यास को दान या अनुदान या किसी भी स्वरूप में न्यास भविष्य में अर्जित करता है जैसा कि नगद धनराशि, लकड़ी, लोहा, इस्पात की सामग्री भवन निर्माण सामग्री, पुस्तक व लेखन सामग्री, बिजली उपकरण, वाहन आदि सभी चल व अचल सम्पत्तियाँ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147832

अनुच्छेद- 3.000

न्यास के उद्देश्य

एतद्द्वारा सूचित न्यास सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति व लिंग में बिना किसी भेदभाव के मानव समाज के पीड़ित अशिक्षित गरीब व अनाथ मानव को दुख से छुटकारा दिलाना है जिससे कि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम हो तथा देश के अच्छे नागरिक बनकर देश व समाज के प्रति उत्तम कार्य करे।

3.010 शिक्षा के उद्देश्य

केन्द्र व राज्य सरकार की मान्यता व उसके द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व कार्य की शिक्षा, जिसमें सामान्य शिक्षा व प्रशिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व प्रशिक्षा, नर्सिंग शिक्षा व प्रशिक्षा, फार्मेसी शिक्षा व प्रशिक्षा सम्मिलित होने के लिए स्वच्छ व स्वास्थ्य वातावरण में विद्यालयों, वाचनालयों, प्रयोगशाला, कार्यशाला, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र व मेडिकल कालेज की स्थापना व संचालन करना तथा उसे जारी रखना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147833

3.020 **सामान्य शिक्षा के प्रशिक्षा**

प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक व परास्नातक के पाठ्यक्रमानुसार कला व साहित्य वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य व व्यवसायिक, शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग के समस्त विषयों का स्वस्थ वातावरण में छात्रों को ज्ञानवर्धन एवं उत्तम शिक्षा प्रदान करना।

3.030 **तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षा**

मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व सिविल इन्जीनियरिंग वर्ग व सूचना तकनीकी (आई0टी0) के समस्त विषयों को सम्मिलित रखते व समय काल व परिस्थितियों के अनुरूप समस्त प्रकार के आधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षा प्रदान करना व प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री प्रदान करना जिसके अन्तर्गत इन्जीनियरिंग कालेज आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक की स्थापना करना और उसका संचालन करना।

3.040 **स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व प्रशिक्षा-**

मानव शरीर के पाठ्य व अन्तः समस्त अंगों व उसके रोगों के साथ शरीर विज्ञान, औषधि व शल्य चिकित्सा द्वारा निदान आयुर्वेदिक व यूनानी, होमियोपैथिक व एलोपैथिक पद्धति के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम समस्त विषयों का शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना, तथा संस्था के चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र में प्रशिक्षुओं को औषधि व शल्य चिकित्सा द्वारा समस्त रोगों के निदान का प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था व अवसर प्रदान करना जिससे कि एक कुशल, योग्य व विज्ञ चिकित्सा बनाया जा सके।

3.050 नर्सिंग पाठ्यक्रमानुसार समस्त विषयों का शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 — TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147834

3.060 औषधि व रसायन के ज्ञान व उसके निर्माण हेतु फार्मेसी (डी0 फार्मा/बी0 फार्मा) के डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमानुसार समस्त विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.070 व्यवसायिक वर्ग की उच्च शिक्षा, व्यवसाय प्रशासन (बी0बी0ए0) व कम्प्यूटर अनुप्रयोग (बी0सी0ए0, एम0सी0ए0) पाठ्यक्रमानुसार समस्त विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करना।

3.080 कृषि व यान्त्रिकी की प्रशिक्षा हेतु कृषि विद्यालय, महाविद्यालय, कृषिभूमि, चारागाह, प्रयोगशाला, कार्यशाला की स्थापना व उसका संचालन करना तथा उसे जारी रखना।

3.090 प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च कृषि वानकी शिक्षा व प्रशिक्षा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमानुसार कृषि वानकी वर्ग के समस्त विषयों का शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना।

3.100 मौसमानुसार, उन्नत किस्म के अन्न, फल, फूल व सुगन्धित औषधीय पौधों के पैदावार हेतु उच्च कोटि के परिष्कृत बीजों को तैयार करना व उसका संरक्षण करने की प्रक्रिया प्रदान करना।

3.110 मृदा परीक्षण, बंजर भूमि सुधार की प्रशिक्षा प्रदान करना।

3.120 कृषि, आधारित व्यवसाय हेतु आधुनिक, खेती बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन व औषधीय पौधों की उन्नति तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करना, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग स्वरोजगार के आधार पर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें।

3.130 संगीत नृत्य व अभिनय शिक्षा प्रशिक्षा संगीत नृत्य व अभिनय शिक्षा प्रशिक्षा हेतु संगीत नृत्य व अभिनय विद्यालय, रंगशाला की स्थापना व उसका संचालन तथा उसे जारी रखना। संगीत

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147835

नृत्य व अभिनय जिसमें चलचित्र निर्माण, एनीमेशन, फिल्म निर्माण व निर्देशन के सभी विषय सम्मिलित होंगे का डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमानुसार शिक्षा व प्रशिक्षाा प्रदान करना।

3.140 शोध शिक्षा-

न्यास के शैक्षणिक संस्थानों में किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने हेतु व नये सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने व आधुनिक तकनीक विकसित करने के उद्देश्य से शोधकर्ता छात्रों को शोध पाठ्यक्रमानुसार चयनित विषय में अनुसंधान कार्य के शिक्षा व प्रशिक्षा प्रदान करने की उत्तम व्यवस्था व अवसर प्रदान करना।

3.150 क्रीड़ा व योग का शिक्षा प्रशिक्षा

बच्चों को मानसिक, शारीरिक विकास हेतु शिक्षा के साथ-साथ क्रीड़ा, ध्यान व योग की शिक्षा प्रदान करना तथा उसे सम्बन्धित क्रीड़ा विद्यालय व योगाश्रम की स्थापना व उसका संचालन करना उसे जारी रखना।

3.160 धर्मार्थ उद्देश्य

अनाथ, निराश्रित, वृद्ध महिला-पुरुष परित्यकता, गरीब व निराश्रित महिलाओं व विकलांगों के लिए आवास, वस्त्र भोजन व दवा उपलब्ध कराना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147836

3.170 अन्य उद्देश्य

3.180 किसी संस्था/समिति के प्रस्ताव पर उसके द्वारा खोले गये संस्थानों/उपक्रमों को अपने में समाहित कर ट्रस्ट के नियम के अनुसार उसे संचालित करना।

3.190 न्यास के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के बच्चों व छात्रों के मानसिक व चरित्रिक विकास के साथ सरलता व प्रभावशाली ढंग से समझाकर अध्यापन व प्रशिक्षण कार्य, हेतु अच्छे चरित्र के विद्वान अध्यापक, प्रवक्ता, प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षक की नियुक्ति करना तथा उनका पारिश्रमिक निर्धारित व निर्गत करना।

3.200 बच्चों व छात्रों तथा शिक्षकों तथा अन्य सभी जो न्यास व उसके शिक्षण संस्थाओं में सम्बद्ध हो के लिए छात्रावास, आवास का निर्माण व उसका रखरखाव तथा उसे संचालित करना।

3.210 बच्चों व छात्रों व अन्य सभी जो न्यास व उसके संस्थाओं से सम्बद्ध है का मानसिक, शारीरिक चारित्रिक विकास के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध करना कि वे एक अच्छे नागरिक बन सके।

3.220 न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु दान, अनुदान या हर प्रकार के उपहार, शिक्षण व प्रशिक्षण शुल्क स्वीकार करना।

3.230 न्यास को भेंट में प्राप्त न्यास की चल व अचल सम्पत्ति को विक्रय या ऋण प्रदायी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण प्राप्त करके न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोष का सृजन करना।

3.240 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व न्यासी से दान, अनुदान।

3.250 परिवार कल्याण, एड्स, कैंसर एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, निःशुल्क परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर उनके बचाव से प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना बच्चों के टीकाकरण के लिए सहयोग प्रदान [illegible] इस कार्यक्रम के संचालन में स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, रेडक्रास व अन्य [illegible] से सहयोग करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147838

3.320 योग व यौगिक क्रिया के माध्यम से रोगों के निदान व सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास तथा प्रशिक्षण का आयोजन करना।

3.330 टी0वी0 सीरियल व चलचित्र के माध्यम से सामाजिक बुराईयों को मिटाने व लोगों को शिक्षित करने की दिशा में कार्य करना।

3.340 कैंसर, टी0बी0, कुष्ट रोग, एड्स, मधुमेह, हेपेटाइटिस बी, व चेचक के रोकथाम तथा भ्रूण हत्या, बाल विवाह के रोकथाम की दिशा में कार्य करना व समय-समय पर सरकार के समक्ष प्रभावी नियंत्रण हेतु योजनाएं प्रस्तुत करना।

3.350 जैविक खाद व प्राकृतिक खादों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

3.360 समाज के गरीब व असहाय परिवार के लड़कियों की शादी करवाना व बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

3.370 भयविहीन एवं भ्रष्टाचार विहीन समाज की स्थापना की दिशा में कार्य करना व नवयुवकों के सहयोग से भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाकर सरकार के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रेषित करना व जन आन्दोलन करना।

3.380 सभी प्रकार के पर्यावरण कार्यक्रम व वृक्षारोपण कार्यक्रम का संचालन करना समाज को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण जागरूकता शिविर व सेमिनार करना व वनटांगिया मजदूरों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147837

3.260 सरकार के सहायता से गांवों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय की व्यवस्था करना तथा सरकारी योजनाओं में लोगो को लाभ दिलाना एवं जल संचयन जल चक्र, स्वच्छ जल के प्रयोग व उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करना।

3.270 न्यास के द्वारा न्यास हित में नर्सिंग होम- स्टेडियम, सामुदायिक भवन, सामुदायिक विकास स्थल का निर्माण, बारात घर, दाह संस्थान, गृह, हेल्थ केयर, बालबाड़ी की स्थापना व समाज के लोगों की आर्थिक उत्थान हेतु व्यवसायिक दुकानों को खोलवाना व संचालित करवाना।

3.280 न्यास के आध्यात्मिक स्थलों का निर्माण व संचालन करना तथा लोगों के ठहरने के लिए धर्मशाला, लाज की स्थापना व संचालन करना। समय-समय पर सभी धर्मो के आध्यात्मिकता गुरुओं का सम्मेलन करवाना। योग दर्शन व धर्म के अनुरूप समाज के संचालन हेतु प्रयास करना तथा वृद्धों को समय-समय पर धार्मिक स्थलों का दर्शन कराना।

3.290 पशुपालन मुर्गीपालन, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना व टीकाकरण करना व चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना।

3.300 नदियों में गन्दे नाले का गिराने से बचाने की दिशा में कार्य करना व वर्षो काल में जल प्रभाव नदियों के कटान को रोकने व इससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति से निपटने व जल निकासी हेतु कार्य योजना बनाना व ड्रेनेज व्यवस्था को लागू करना व इस कार्यक्रम पर शोध कार्य करना व संचालन करना।

3.310 विज्ञान व प्रौद्योगिक पर आधारित कार्यक्रमों करना तथा विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु समय-समय पर विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147839

3.390 विश्वशान्ति मानवता व मानवाधिकार के कार्यक्रमों का संचालन करना लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना उनको विधिक व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित करना एवं पुरस्कार प्रदान करना।

3.400 दैवी आपदाओं जैसे– बाढ़, आकाल, भूकम्प, युद्ध उपद्रव, दंगा, बलवा इत्यादि से पीड़ित जन को हर सम्भव आर्थिक व अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराना।

3.410 विकलांगों एवं निराश्रितों के चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना एवं आर्थिक एवं अन्य संसाधनों द्वारा उनकी सहायता प्रदान करना।

3.420 न्यास अपने मुख्य व अनुसांगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे सभी कार्यक्रम संचालित करेगी जो न्यास के हित में आवश्यक प्रतीत होता है।

3.430 न्यास अपने उद्देश्यों के पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व वित्तीय संस्थानों के कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करना व न्यास के द्वारा उत्पादित उत्पादनों को आयात व निर्यात करना व विभिन्न कम्पनियों को उत्पादित वस्तुओं का आयात करना व रख रखाव तथा विक्रय करना। सरकारी व अर्द्ध सरकारी संगठनों के निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों को प्राप्त करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147840

अनुच्छेद 4.000

न्यास सम्पत्ति

4.100 न्यास प्रवर्तक इसके द्वारा न्यास में मु0 रु0 10000/- (दस हजार रुपया) मात्र नगद मूल न्यास राशि अन्तरित करता है।

4.200 डॉ0 शक्तिप्रकाश पाठक संस्थान व प्रवर्तक न्यासी परिषद के आजीवन स्थायी अध्यक्ष न्यासी रहेंगे। इनके बाद इनके विधिक उत्तराधिकारी को अध्यक्ष स्वतः हो जायेगा जैसा कि न्यास प्रवर्तक के लिखित इच्छा पत्र द्वारा यदि नामित किया गया है।

4.300 श्रीमती इन्दुबाला उर्फ अन्नपूर्णा न्यासी परिषद के सचिव न्यासी रहेंगी। सचिव का कार्यकाल न्यास के प्रावधान के अनुसार पाँच वर्ष का होगा। लेकिन न्यास सदस्यता आजीवन रहेगी।

4.400 शक्ति प्रकाश पाठक संस्थापक व प्रवर्तक न्यासी परिषद अध्यक्ष द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में श्रीमती इन्दुबाला उर्फ अन्नपूर्णा को नामित किया गया है। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी भी अथवा उनकी इच्छानुसार जो न्यास के प्रति सत्यनिष्ठा हो उसे ये सदस्य न्यासी बनाया जा सकेगा। वह भी आजीवन सदस्य रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147841

अनुच्छेद 5.000

न्यास का प्रशासन व प्रबन्ध

5.110 न्यास का प्रशासन व प्रबन्ध न्यासियों द्वारा गठित एक परिषद द्वारा किया जायेगा। जिसे न्यासी परिषद कहा जायेगा। न्यासी परिषद में साधारणतया कम से कम 5 (पाँच) व अधिक से अधिक 10 (दस) न्यासी होंगे। न्यास प्रवर्तक संस्थापक न्यासी के रूप में न्यासी परिषद के स्थायी अध्यक्ष न्यास होंगे। जिसके बाद उनके विधिक उत्तराधिकारियों में से किसी एक उत्तराधिकारी को अध्यक्ष न्यास चुना जायेगा जैसा कि न्यास प्रवर्तक के इच्छा पत्र द्वारा यदि नामित किया गया हो। किसी इच्छा पत्र या लिखित नामित के न होने की दशा में न्यास परिषद के न्यासियों की राय से उनके उत्तराधिकारियो (वंशजों) में से किसी योग्य विद्वान, चरित्रवान, ईमानदार, व्यवहार कुशल, व न्यास के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान व समर्पित उत्तराधिकारी को उनके स्थान पर नियुक्त किया जायेगा। जिन्हें वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे। जैसा कि पूर्ववर्ती अध्यक्ष न्यास को प्राप्त थे।

5.120 न्यासी परिषद के न्यासी की संख्या 10 (दस) किया जाना यदि आवश्यक प्रतीत हो तो न्यास प्रवर्तक द्वारा न्यासी परिषद के अतिरिक्त न्यासियों को नियुक्त कर सकती है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147842

5.140 न्यास के गठन के समय न्यास प्रवर्तक द्वारा नियुक्त 7 (सात) न्यासियों का कार्यकाल जीवनपर्यन्त का होगा परन्तु न्यास की अचल सम्पत्तियों का दान न्यासी के रूप में न्यास प्रवर्तक अध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा।

5.150 ऐसे न्यासी जो पाँच वर्ष कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त हो रहे हो उन्हें वर्तमान न्यासी परिषद द्वारा पुनः न्यासी नियुक्त किया जा सकता है।

5.160 यदि कोई न्यासी अपने सेवाकाल पूर्ण होने के पूर्व न्यासी पद से मुक्त होने की उसकी इच्छा है तो वह अपने न्यासी पद से त्याग पत्र दे सकता है।

5.170 न्यास के प्रशासनिक व प्रबन्धकीय कार्यों के निष्पादन व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास प्रवर्तक सरकारी मापदण्डों के अनुसार पद सृजित किया जायेगा।

5.180 डॉ0 शक्ति प्रकाश पाठक न्यास प्रवर्तक संस्थापक न्यासी के रूप में न्यासी परिषद के स्थायी चेयरमैन न्यासी रहेंगे।

5.190 श्रीमती इन्दुबाला उर्फ अन्नपूर्णा न्यास परिषद के सचिव न्यास रहेंगी। यह आजीवन न्यासी रहेंगी।

5.200 श्री विद्या प्रकाश पाठक उप प्रबन्धक रहेंगे तथा आजीवन सदस्य रहेंगे।

5.210 श्री कामाख्या प्रकाश पाठक न्यास परिषद के प्रबन्धक रहेंगे, वह भी आजीवन सदस्य रहेंगे। इनके बाद इनके एक विधिक उत्तराधिकारी को अन्य न्यासियों के बहुमत से न्यास का सदस्य बनाया जायेगा।

5.220 श्रीमती वन्दना पाठक उपाध्यक्ष रहेंगी। इनकी सदस्यता आजीवन रहेगी।

5.230 नवेन्दुशेखर कोषाध्यक्ष रहेंगे। इनकी सदस्यता आजीवन रहेगी।

5.240 कीर्तिकर कश्यप और आदित्य विशाल आजीवन सदस्य रहेंगे।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147843

5.250 चेयरमैन न्यास को छोड़कर शेष पदाधिकारियों का कार्यकाल मात्र 5(पांच) वर्ष होगा। कार्यावधि के दौरान पदाधिकारी किसी को उनके न्यासी पद से हटाये जाने पर उनका पद स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5.260 चेयरमैन न्यासी परिषद के सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

5.270 न्यासी परिषद के सभी बैठक या प्रस्ताव पर अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई बैठक बुलाई जाती है तो उसका अनुमोदन अध्यक्ष न्यास से आवश्यक होगी।

5.280 न्यासी परिषद के प्रत्येक बैठक की कार्यवाही चेयरमैन या न्यासियों में से किसी एक न्यासी द्वारा निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जायेगा।

5.290 सचिव न्यास- न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति में प्रशासनिक व प्रबन्धकीय कर्तव्यों व अधिकारों का सम्पादन के साथ-साथ अनुच्छेद 9000 में उल्लेखित न्यासी परिषद में निहित अधिकार व कर्तव्यों का निष्पादन करना चेयरमैन न्यास के निर्देशानुसार न्यासी परिषद सभी बैठकों आहूत करना बैठकों की सूचना सम्प्रेषित करना तथा बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना तथा सम्पत्तियों का क्रय करना चेयरमैन न्यास की अनुपस्थिति में उनके द्वारा निर्देशित कार्य को करना।

5.300 कोषाध्यक्ष न्यास-चेयरमैन न्यास के निर्देशानुसार न्यास सम्पत्ति व न्यास के कोष की सुरक्षा तथा न्यास के आय-व्यय के सम्बन्ध में पुस्तपालन, लेखांकन व अंकेक्षण करना या कराना।

5.310 ट्रस्ट द्वारा स्थापित प्रत्येक संस्थानों चाहे शिक्षण संस्थान हो या व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण प्रत्येक संस्था हेतु पृथक प्रबन्ध एवं प्रशासन योजना द्वारा किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147844

अनुच्छेद- 6.000

न्यासी की पात्रता

न्यास के दानकर्ताओं में ऐसे दानकर्ता न्यासी परिषद के न्यासी पद के पात्र होंगे जो-

6.110 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो।

6.120 भारत के नागरिक हो।

6.130 पागल या मानसिक रोगी न हो।

6.140 शैक्षिक योग्यता- कम से कम साक्षर हो।

6.150 अपराधिक प्रवृत्ति के किसी आपराधिक संगठन के सदस्य न हो या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के दण्डित न हो।

6.160 दिवालिया विधि के अधीन दिवालिया घोषित न किया गया हो।

6.170 ईमानदार, चरित्रवान व उदार हो।

अनुच्छेद- 7.000

चयनित न्यासी के न्यास पद से समाप्ति

7.110 ऐसे न्यासियों को न्यास परिषद से न्यासी का पद निम्न कारणों से अध्यक्ष न्यासी के द्वारा समाप्त की जा सकती है।

7.120 तथ्यों को छुपाकर न्यासी का पद ग्रहण किया हो।

7.130 पागल या मानसिक रोगी हो जाने पर।

7.140 दिवालिया घोषित होने पर।

7.150 किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7.160 न्यासी कार्यकाल समाप्त होने पर।

7.170 न्यासी पद से त्याग पत्र देने पर।

न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147845

7.190 न्यास के धन या सम्पत्ति का व्यक्तिगत लाभ हेतु आहरण या दुरूपयोग सिद्ध होने पर।

7.200 लगातार एक वर्ष से विदेश में रहने पर।

7.210 लगातार बिना सूचना के न्यास परिषद के तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

अनुच्छेद- 8.000

न्यासी परिषद की बैठक

8.110 **सामान्य बैठकें**- न्यासी की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी।

8.120 **विशेष बैठक**- अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा व निर्णय हेतु न्यासी परिषद की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। विशेष बैठकें प्रत्येक माह में एक बार बुलाई जा सकती है। ऐसी बैठकों की संख्या अधिकतम एक वर्ष में 12 हो सकती है।

8.130 **सूचना अवधि**- न्यासी परिषद की सामान्य बैठक की सूचना न्यासियों को 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व विशेष बैठकों की सूचना 48 घन्टे पूर्व न्यासियों को दी जायेगी, यदि किसी न्यासी को किसी कारणवश सूचना न होने की दशा में बैठक स्थगित नहीं होगी। बशर्ते बैठक की गणपूर्ति होनी आवश्यक है। वार्षिक बैठक की सूचना सभी न्यासी, दानकर्ता, प्रभारी, अधिकार को एक माह पूर्व पूर्व उचित माध्यम से देना अनिवार्य होगा।

8.140 **गणपूर्ति**- न्यास परिषद की बैठक के लिए 1/3 न्यासियों की उपस्थिति गणपूर्ति गिनी जायेगी, जिसके पूरा न होने की दशा में अध्यक्ष की सहमति से अगले तिथि के बैठक को लिखित सूचना पर स्थगित कर दी जायेगी। स्थगित बैठक में सर्वप्रथम में स्थगित बैठक के विषय सूची पर चर्चा के उपरान्त भी अन्य विषय सूची पर विचार विमर्श किया जायेगा। द्वितीय बैठक में गणपूर्ति न होने पर उपस्थिति न्यासियों को ही गणपूर्ति मान लिया जायेगा।

8.150 **वार्षिक अधिवेशन**- न्यासी परिषद के पूरे वर्ष के क्रिया कलापों की समीक्षा एवं पुष्टि हेतु न्यास का एक वार्षिक साधारण सभा होगी। जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष के माह मई में आवश्यक होगी जिसमें सभी न्यासी होंगे व न्यास के दानकर्ता व न्यास के संस्थानों के प्रभारी कार्यकारी को भाग लेना अनिवार्य होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147827

अनुच्छेद- 9.000

न्यासी परिषद के कर्तव्य व अधिकार

9.110 न्यासी परिषद के न्यासियों को निम्न कर्तव्य व अधिकार के साथ-साथ वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो न्यास को संचालित व उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित व न्यास के अधीन स्थापित शैक्षणिक या अन्य संस्थानों के संचालन व उसके जारी रखने में दिशा निर्देश हो।

9.120 कर्तव्य व उत्तरदायित्व

9.130 न्यास के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना तथा न्यास की उन्नति के लिए कार्य करना। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संस्थानों की सम्पत्तियों की सुरक्षा करना। उसे नष्ट होने से बचाना तथा उसकी समुचित देख-रेख व प्रबन्धन उसी प्रकार से करना जिस प्रकार अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा की जाती है।

9.140 न्यास के सभी शैक्षिक, प्रशैक्षिक व अन्य संस्थाओं, कार्यक्रमों या क्रिया कलापों का संचालन करना व नियमित रखना।

9.150 न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोष का सृजन करना।

9.160 न्यासी परिषद के बैठकों में उपस्थित रहना व न्यास के उद्देश्यों की सफलता हेतु अपना विचार प्रस्तुत करना।

9.170 न्यास के सभी कार्य व दायित्व का निर्वहन करना जो न्यास के हित में उसके उद्देश्यों को सफल बनाने में आवश्यक है।

9.180 न्यास के सभी प्रकार के आय व व्यय का नियमित रूप से पुस्तपालन, लेखांकन व अंकेक्षण करवाना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147828

चेयरमैन (अध्यक्ष) न्यासी के अधिकार

9.190 न्यासी परिषद के सभी अधिकार चेयरमैन न्यासी में निहित किये जाते है, जो न्यास परिषद के तरफ से प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना।

9.200 न्यास के शिक्षक, प्रशिक्षक संस्थानो की स्थापना हेतु भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र में भूमि भवन व अन्य अचल सम्पत्तियाँ तथा सभी प्रकार की चल सम्पत्तियों का क्रय, दान या अनुप्राप्ति, किराया व पट्टे पर अर्जित व स्वीकार करना तथा न्यास हित में न्यास सम्पत्तियों का विक्रय करना व दान पत्र पर देना।

9.210 न्यास के लिए न्यास के तरफ से क्रय, विक्रय विलेख को सम्मिलित करते हुए हर प्रकार के लेख या विलेख का निष्पादन करना।

9.220 न्यास के लिए न्यास की तरफ से किसी प्रकार की संविदा, अनुबन्ध, दावा, प्रतिदावा, शपथ-पत्र, प्रार्थना पत्र का निष्पादन व हस्ताक्षरित करना।

9.230 किसी भी न्यायालय अभिकरण में न्यास के लिए न्यास के विरूद्ध हर प्रकार के वाद पत्र प्रतिवाद पत्र हस्ताक्षरित व उसे प्रस्तुत करना।

9.240 भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र में न्यास के नाम या उसे किसी संस्थान के नाम से चालू खाता, बचत खाता, या सावधि खाता, न्यासी परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट आफिस, सहकारी बैंक में कोष प्रबन्धन हेतु खाता खोलना व संचालित करना। न्यास के समस्त खातों का संचालन न्यास के प्रवर्तक अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष तथा सचिव के साथ एकल या संयुक्त खाता संचालित किया जायेगा।

9.250 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण प्रदायी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी, वित्तीय संस्थानों, बैंक, फर्म, व्यक्ति से ऋण प्राप्त करना तथा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र हस्ताक्षरित करना तथा ऋण की सभी औपचारिकताओं को पूरा करना।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147829

9.260 ऋण के लिए न्यास या न्यास के अधीन संस्थाओं के चल व अचल सम्पत्तियों के बंधक, गिरवी से सम्बन्धित सभी औपचारिकता पूर्ण करने हेतु कागजातो का निष्पादन व हस्ताक्षरित करना।

9.270 सभी प्रकार के दान, अनुदान, भेंट, अंशदान, चन्दा व सभी प्रकार के उपहार नगद राशि, चल सम्पत्ति के रूप में हो स्वीकार करना।

9.280 न्यास सम्पत्ति से आय या लाभ, किराया, ब्याज, ऋण पत्र प्राप्त करना।

9.290 दान द्वारा प्राप्त चल व अचल सम्पत्तियों का न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति में विक्रय करना व प्राप्त धन न्यास के कार्यक्रमों में निवेशित करना।

9.300 न्यास की ऐसी सम्पत्तियाँ जो निष्प्रयोज्य हो गयी है, या उसके क्षय कारण या नष्ट होने की संभावना पर उसे विक्रय या सार्वजनिक नीलाम कर धन प्राप्त करना तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में निवेश करना।

9.310 ग्राम व न्यास से सम्बन्धित संस्थानों के सम्पत्तियों के लाभ के लिए मरम्मत, पुनः निर्माण परिवर्तन, सुधार व उसका उचित प्रबन्धन करना।

9.320 न्यास या न्यास से सम्बन्धित संस्थानों के किसी भी सम्पत्ति का राज्य केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय के द्वारा अधिग्रहण की दशा में उसके बदले देय अधिग्रहण राशि को प्राप्त व स्वीकार करना तथा न्यास के उद्देश्यों में निवेशित करना।

9.330 न्यास व न्यास से सम्बन्धित शैक्षिक, प्रशैक्षिक या अन्य संस्थानों के लिए उद्देश्यों के अनुसार कार्य का संचालन या प्रबन्ध हेतु पदाधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षक, प्रशिक्षक, विशेषज्ञ, सुरक्षाकर्मी, अवैतनिक व अन्य पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति, निष्कासन निलम्बन कार्यवाही करना।

9.340 न्यास के कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, मानदेय, महंगाई भत्ता व अन्य लाभ निर्धारित करना व उसका भुगतान सुनिश्चित करना।

9.350 छात्रों व प्रशिक्षुओं से शिक्षा/प्रशिक्षा शुल्क प्राप्त करना।

9.360 गरीबी रेखा से नीचे या गरीब परिवार या आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अनाथ बच्चों व मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत कर उन्हें भुगतान करना।

[illegible] के उद्देश्यों की पूर्ति में होने वाले सभी प्रकार के व्यय का भुगतान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147830

9.380 न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत वर्ष या भारत वर्ष से बाहर किसी भी देश में आयोजित सम्मेलनों में आने व जाने का अधिकार।

9.390 न्यास के समस्त आय व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा व चिट्ठा बनवाना व मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक से अंकेक्षण करवाकर सरकारी विभाग व न्यास के साधारण सभा में न्यास के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना।

9.400 अध्यक्ष की सहमति व न्यासी परिषद के 2/3 बहुमत से इस न्यास के किसी नियमावली में जोड़ने व निकालने व उसकी पुष्टि करने का अधिकार यदि न्यास के उद्देश्यों के हित में ऐसा आवश्यक समझा जाता है तो करना।

9.410 भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1)(4) के साथ पठित धारा 11(5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए या निवेश के किसी विधि के उपबन्धों के अधीन न्यास धन को निवेशित करना।

9.420 न्यास के किसी भी उपबन्ध को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11, 12ए, 13 तथा 80 जी के उपबन्धों पर प्रतिकूल असर डालने वाली हो उसका संशोधन निरस्त नहीं करना। यदि ऐसा करना न्यास व उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो तो ऐसी दशा में आयकर आयुक्त से नियमानुसार पूर्व अनुमति या पुष्टि प्राप्त करना होगा।

9.430 न्यासी परिषद के चेयरमैन न्यासी या पदाधिकारी न्यासी अथवा न्यासी को मानदेय दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता तथा आकस्मिक व चिकित्सा भत्ता, न्यासी परिषद की बैठक में भाग लेने, भारत में या भारत से बाहर न्यास की तरफ से किसी सम्मेलन में भाग लेने व विविध खर्चे जो न्यास के कार्यों के सम्पादन के लिए हो प्राप्त व भुगतान करने का अधिकार।

9.440 न्यास व उससे सम्बन्धित संस्थानों के प्रशासन व प्रबन्धन से सम्बन्धित व न्यासियों, पदाधिकारियों के कर्तव्य व अधिकार सम्बन्धित नियमावली बनाने का अधिकार।

9.450 न्यास व उसके उद्देश्यों को संचालित करने के सभी अधिकार जो न्यास के हित में हो।

अनुच्छेद- 10.000

निर्णायक मत

न्यासीगण के मध्य वैचारिक भिन्नता की स्थिति में बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी बैठक में अध्यक्ष न्यासी का निर्णायक मत अंतिम होगा।

अनुच्छेद- 11.000

अभिलेखों की अभिरक्षा

न्यास के न्यासियों से सम्बन्धित स्वतः विलेख, पूर्ण निवेश पत्र, आय-व्यय के लेखा पुस्तक, चल व अचल सम्पत्ति का विवरण पुस्तक, दानकर्ता की सूची, सूचना प्राप्त कार्यवाही पुस्तिका स्टाक पंजिका व अन्य आवश्यक अभिलेख जो न्यासी की अभिरक्षा में रहेगा।

अनुच्छेद- 12.000

अभिघटित न्यास

[illegible] द्वारा घोषित किया जाता है कि यह न्यास अविघटित न्यास है।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 147831

12.110 न्यासियों द्वारा किसी विशेष परिस्थिति में यदि यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि न्यास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल हो गयी है तो न्यास के सभी चल व अचल सम्पत्ति व उत्तरदायित्वों को इस न्यास के समरूप उद्देश्य वाली किसी न्यास को अन्तरित कर दी जायेगी।

अनुच्छेद- 13.000

सामान्य अनुच्छेद

13.100 न्यास के प्रति या न्यास के विरुद्ध किसी प्रकार के विवाद का निपटारा पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के द्वारा या पंच निर्णय के अनुसार किया जायेगा। साधारणतया न्यायिक क्षेत्राधिकार कुशीनगर जनपद न्यायालय के क्षेत्राधीन होंगे।

13.200 न्यास का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल की प्रथम तिथि से प्रारम्भ होकर मार्च के अन्तिम तिथि न्यास की वित्तीय वर्ष मानी जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 147847

इस न्यास विलेख के शीर्षक में अंकित वर्ष मास तिथि को पक्षकारों ने इस विलेख को तैयार करवाया स्वस्थचित्त से भली प्रकार पढ़कर व समझकर बिना किसी अनुचित दबाव के समस्त साक्षीगण हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवे।

साक्षीगण-

1. [illegible]

श्री शक्ति प्रकाश पाठक "न्यास प्रवर्तक"

2. मुरारी [illegible]

न्यास विलेख प्रारूप कर्ता

दिनांक 7-3-92

शक्ति प्रकाश पाठक

इन्दराज कर्ता - गोविन्द कुमार मिश्र [illegible]